संख्या-124/2025/1/1027213/2025/711002(002)/7/2022

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनॉक 16 जुलाई, 2025**

विषयः-वित्तीय वर्ष 2025-26 में केन्द्र पुरोनिधानित योजना (फेज-2) के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ में 30 पी0जी0 सीटों की वृद्धि के दृष्टिगत निर्माण/सिविल कार्य हेतु द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम०ई०/बजट/2025-16/97, दिनांक 19.06.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में केन्द्र पुरोनिधानित योजना (फेज-2) के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ में 30 पी०जी० सीटों की वृद्धि के दृष्टिगत निर्माण/सिविल कार्य हेतु पूर्व में निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रेषित करते हुए परियोजना की स्वीकृत लागत रू0 2529.43 लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में रू० 919.00 लाख की धनराशि निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-65/2024/1/522000/2024/711002(002) /7/2022, दिनांक 16.03.2024 द्वारा केन्द्र पुरोनिधानित योजना (फेज-2) के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ में 30 पी०जी० सीटों की वृद्धि हेतु निर्माण/सिविल कार्य हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा आकलित लागत रू0 2529.43 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा तथा प्रश्नगत कार्य हेतु प्रथम किश्त के रूप में रू0 885.00 लाख (राज्यांश) की धनराशि निर्गत की गयी है। इस प्रकार परियोजना हेतु रू0 1644.43 लाख की धनराशि अवमुक्त किया जाना शेष है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र पुरोनिधानित योजना (फेज-2) के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ में 30 पी०जी० सीटों की वृद्धि हेतु निर्माण/सिविल कार्य हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा आकलित लागत रू0 2529.43 लाख के सापेक्ष प्रश्नगत कार्य हेतु द्वितीय किश्त के रूप में 35 प्रतिशत अर्थात् रू० 885.30 लाख (रू० आठ करोड़ पचासी लाख तीस हजार मात्र) (केन्द्रांश रू0 864.00 लाख व राज्यांश रू0 21.30 लाख) की धनराशि, महानिदेशक,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ के निवर्तन पर एस०एन०ए० खाते में रक्षित धनराशि में से हस्तान्तरित किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

3. अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाकघर/बैंक खाते में नही रखा जायेगा।

4. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों तथा प्रायोजना को निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत पूर्ण किये जाने की जिम्मेदारी महानिदेशक/प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था की होगी।

5. परियोजना से सम्बन्धित भारत सरकार की गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

6. परियोजना से सम्बन्धित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-65/2024/I/522000/2024/711002(002)/7/2022, दिनांक 16.03.2024 में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

मनोज कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या व तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. अनु सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़।
5. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, आजमगढ़।
7. प्रबन्ध निदेशक, कनस्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0, जल निगम, लखनऊ।
8. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

मनोज कुमार सिंह

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।